

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
झाँसी।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 634 / 30 एम0एम0सी/ई-निविदा/मौरम/2023-24

दिनांक:-25/07/2023

विषय :- जनपद-झाँसी में नदी तल में उपलब्ध मोरम के रिक्त खनन क्षेत्रों को उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(2)(क) व नियम-23(2)(ड) में उल्लिखित प्राविधानों तथा शासनादेश संख्या 781/86-2020-14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अधीन 06 माह की अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-झाँसी में नदी तल में बालू/मोरम के रिक्त खनन क्षेत्रों को उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(2)(क) व नियम-23(2)(ड) में उल्लिखित प्राविधानों तथा शासनादेश संख्या 781/86-2020-14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अधीन 06 माह की अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने के लिए विज्ञप्ति संख्या-633/30एम0एम0सी/ई-निविदा/मौरम/2023-24 दिनांक: 25/07/2023 की 06 प्रति सी0डी0 सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आमंत्रण की सूचना को व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त उसकी प्रति जिला खनन कार्यालय, झाँसी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

जिलाधिकारी  
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जिलाधिकारी  
झाँसी

# कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

संख्या 633 / 30एम0एम0सी/ई-निविदा/बालू/मोरम/2023-24 दिनांक: 25/7/2023

## ई-निविदा आमन्त्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(2)(क) व नियम-23(2)(ड) में उल्लिखित प्राविधानों तथा शासनादेश संख्या 781/86-2020-14 (सा0)/2020 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अधीन जनपद-झाँसी में नदी तल पर उपलब्ध मोरम के निम्नलिखित रिक्त क्षेत्र को ई-निविदा के माध्यम से 06 माह की अवधि हेतु अल्पकालीन खनन परिहार (खनन अनुज्ञा पत्र) पर स्वीकृत किये जाने हेतु एतद् द्वारा उपलब्ध घोषित करते हुए इस क्षेत्र के लिए पाँच कार्य दिवस यानि दिनांक: 07/08/2023 के 10.00 बजे पूर्वान्ह से दिनांक: 16/08/2023 के 5:00 बजे अपरान्ह तक अधोलिखित शर्तों के अधीन ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है:-

### बालू/मोरम के रिक्त खनन क्षेत्रों का विवरण :-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	आराजी सं०	क्षेत्रफल (हेक्टर)	जियो कोआर्डिनेट्स		न्यूनतम रायल्टी की दर (₹ प्रतिघनमीटर)	उपखनिज को निर्धारित अर्द्धवार्षिक मात्रा (घनमीटर में)	आधार मूल्य (न्यूनतम रायल्टी की दर निर्धारित अर्द्धवार्षिक मात्रा)	अनरेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50%)
					NORTHING	EASTING				
1	गरौठा	खरवाच	434	24.281	A- 25°43'47.90"N B- 25°44'15.00"N C- 25°44'32.20"N D- 25°44'32.06"N E- 25°44'36.70"N F- 25°44'36.20"N G- 25°44'16.40"N H- 25°43'44.30"N	79°23'29.80"E 79°23'45.80"E 79°23'26.00"E 79°23'11.30"E 79°23'11.70"E 79°23'25.90"E 79°23'49.90"E 79°23'31.90"E	150.00	97,500.00	1,46,25,000.00	73,12,500.00
2	गरौठा	एरच	01	40.468	A- 25°49'04.20"N B- 25°49'08.80"N C- 25°49'21.30"N D- 25°49'28.30"N E- 25°49'23.20"N F- 25°49'16.00"N G- 25°49'21.90"N H- 25°49'20.10"N	79°05'43.20"E 79°05'38.90"E 79°06'10.80"E 79°06'41.90"E 79°06'59.00"E 79°06'57.30"E 79°06'39.00"E 79°06'32.80"E	150.00	26,000.00	39,00,000.00	19,50,000.00
3	टहरौली	शमशेरपुरा	01	12.140	A- 25°42'04.00"N B- 25°42'00.50"N C- 25°41'51.40"N D- 25°41'41.40"N E- 25°41'43.60"N	79°00'60.00"E 79°01'05.50"E 79°01'00.50"E 79°00'57.10"E 79°00'50.60"E	150.00	18,000.00	27,00,000.00	13,50,000.00
4	मकरानीपुर	खकौरा	523	20.00	A- 25° 9'38.59"N B- 25° 9'39.69"N E- 25° 8'57.45"N F- 25° 8'55.21"N	79°18'46.39"E 79°18'50.11"E 79°19'23.09"E 79°19'18.34"E	150.00	75,000.00	1,12,50,000.00	56,25,000.00
5	मोट	सौजना	321 (खण्ड-1)	4.500	A-25°-39'-23.90" B-25°-39'-30.90" C-25°-39'-28.10" D-25°-39'-21.10"	A-78°-58'-36.30" B-78°-58'-43.40" C-78°-58'-47.90" D-78°-58'-41.30"	150.00	11,250.00	16,87,500.00	8,43,750.00
6	गरौठा	देवरी	308/10, 332/1	21.044	A-25°-46'-37.10" B-25°-46'-37.80" C-25°-46'-37.80" D-25°-46'-40.50" E-25°-46'-36.90" F-25°-46'-30.20" G-25°-46'-32.20"	79°-22'-52.70" 79°-23'-10.20" 79°-23'-23.50" 79°-23'-30.70" 79°-23'-34.60" 79°-23'-14.40" 79°-22'-53.60"	150.00	25,000.00	37,50,000.00	18,75,000.00
7	गरौठा	कुडरी	01, 218क	14.000	A- 25°48'14.30"N B- 25°48'19.50"N C- 25°48'19.50"N D- 25°48'13.30"N E- 25°48'03.70"N F- 25°47'51.40"N G- 25°47'48.00"N H- 25°47'10.70"N I- 25°48'14.50"N	79°14'28.50"E 79°14'27.70"E 79°14'34.10"E 79°14'48.20"E 79°14'58.60"E 79°15'09.00"E 79°15'06.00"E 79°14'41.80"E 79°14'32.60"E	150.00	40,000.00	60,00,000.00	30,00,000.00
8	टहरौली	कुकरगाँव (निजी भूमि)	1ख, 1ग, 1घ, 1ङ, 1च, 1छ, व 1ज	1.000	A-25°-38'-32.90" B-25°-38'-34.90" C-25°-38'-36.50" D-25°-38'-34.70"	A-78°-58'-13.40" B-78°-58'-12.90" C-78°-58'-19.80" D-78°-58'-20.50"	150.00	15,000.00	22,50,000.00	11,25,000.00

### शर्त:-

1- अनुज्ञा पत्र की अवधि अधिकतम 06 माह होगी।

(2)

- 2- किसी भी रिक्त खनन क्षेत्र के लिए निर्धारित बालू/मोरम की मात्रा पर्यावरणस्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) में अनुमन्य मात्रा ही स्वीकार्य होगा।
- 3- प्रत्येक क्षेत्र के लिए आधार मूल्य उस क्षेत्र में छः माह की अवधि के अन्दर खनन व निकासी किये जाने योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) एवं उ०प्र० उपखनिज(परिहार)नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में नदी तल स्थित बालू/मोरम के लिए विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर रू० 150.00 प्रति घनमीटर के गुणनफल के समतुल्य होगा।
- 4- किसी क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रियामें प्रतिभाग करने से पूर्व उस क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि, जो उस क्षेत्र के आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा, का बैंक ड्राफ्ट (जो जिलधिकारी, झाँसी के पक्ष में देय होगा) जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग ई-निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
- 5- इच्छुक ई-निविदाकार किसी भी क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रियामें प्रतिभाग करने से पूर्व उस क्षेत्र में आंकलित बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का स्वयं निरीक्षण करआश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6- यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
  - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।।
  - (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से "etenders.up.nic.in" पर ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा "etenders.up.nic.in" के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई०डी० व पासवर्ड बनायेगें।
  - (ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- 7- निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर स्वयं की आई०डी० लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्नलिखित स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

**प्रारूप- 2 की सूचनायें :-**

- क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
- ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।
- ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो० नं०।
- घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
- ङ. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू० 2000/- का चालान संख्या व दिनांक।
- च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
- छ. पैन कार्ड का क्रमांक।
- ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
- झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या

(3)

**स्वंप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-**

- क. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 2,000.00/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
- ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
- ग. पैन कार्ड।
- घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाए, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टा धारक/परिहारधाक न रहा हो वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
- ङ. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है से जारीचरित्र प्रमाण पत्र, फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।
- 8- विज्ञप्ति के अनुसार पॉच कार्य दिवसों में प्राप्त ई-निविदाओं को दिनांक: 17/08/2023 को समय 11:00 बजे पूर्वान्ह में जिलाधिकारी द्वारा गठित ई-निविदा समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
- 9- यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-7 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नं0 लिखना अनिवार्य होगा।
- 10- बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि यानि दिनांक: / /2023 को समय 5:00 अपरान्ह तक जिला खनन कार्यालय, झाँसी में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकार का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- 11- सर्वोच्च ई-निविदाकार का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति जिला खनन कार्यालय, झाँसी में प्रस्तुत किया जायेगा जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
- 12- सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 13- नदी तल में स्थित निजी भूमि के क्षेत्र की स्थिति में सम्बन्धित भू-स्वामी/स्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसके उच्चतम ई-निविदा के प्रस्ताव को संज्ञान में लेकर 07 कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित निजी भूमि के क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम ई-निविदा के प्रस्ताव से अधिक हो, प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू-स्वामी/स्वामियों द्वारा प्रथम इन्कार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू-स्वामी/स्वामियों को भुगतान, प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।
- 14- प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय

(4)

- पत्र निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।
- 15- जिन क्षेत्रों में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र(EC) प्राप्त है उन क्षेत्रों के सफल निविदादाताको नियमानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC)को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा जिनक्षेत्रों के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) प्राप्त नहीं है उसके सफल निविदाकार को आशय पत्र(LOI) प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवंजलवायुपरिवर्तनमंत्रालय,भारतसरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र (EC)प्राप्त करना होगा। अनुज्ञा-पत्र धारक को अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC)अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र देना होगा।
  - 16- पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC)प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्तनियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
  - 17- खनन अनुज्ञा पत्र के अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध होगा।
  - 18- पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएँ सम्पादित करना होगा।
  - 19- क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
  - 20- मा0 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
  - 21- अन्य नियम एवं शर्तें जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

जिलाधिकारी  
झाँसी।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग लखनऊ।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
- 6- प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), झाँसी।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
- 9- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, मऊरानीपुर, टहरौली, गरौठा व मौठ को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- 10- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, झाँसी।
- 11- जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 12- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, झाँसी को जनपद झाँसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 13- प्रभारी अधिकारी, नजारत, कलैक्ट्रेट, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 14- सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव को प्रस्तावित क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थल पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी  
झाँसी।

**खनन अनुज्ञा -पत्र हेतु ई-निविदा प्रपत्र**

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाइल नम्बर	
8	ई-मेल आईडी	
9	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है उसका विवरण, (क) उपखनिज का नाम- (ख) जनपद का नाम- (ग) तहसील का नाम- (घ) खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम- (ङ) गाटा संख्या/खण्ड संख्या- (च) क्षेत्रफल (एकड़ में) -	
10	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
14	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
15	क्षेत्र में छः माह की अवधि हेतु आंकलित उपखनिज (बालू/मोरम) की मात्रा को नियमावली, 2021 के अनुसूची-01 में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी की दर रू0 150.00 के गुणनफल का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का विवरण। (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	

नोट:- महत्वपूर्ण-किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक: / /2021

निविदाकार के हस्ताक्षर